



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2015/भाद्र 13, 1937

No. 545]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2015/BHADRA 13, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 677(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रारूप नियम भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 532(अ) तारीख 24 जुलाई, 2014 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 24 जुलाई, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (14वां संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये नियम उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 62 के उपनियम (1) के परंतुक की सारणी में "स्टीयरिंग गियर" और उससे संबंधित प्रविष्टियां मद के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"एन2, एन3, टी3, टी4 के लिए रियर अंडर रन संरक्षक युक्ति	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नियम 124(1क) के अनुसार
एन2, एन3, टी3, टी4 के लिए पार्श्व संरक्षण साइड युक्ति	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नियम 124(1क) के अनुसार।"

[सं. आरटी-11028/07/2014-एमवीएल]

नीरज वर्मा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. 643(अ), तारीख 19 अगस्त, 2015 द्वारा किया गया।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2015

**G.S.R. 677(E).**—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 532(E), dated the 24th July, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the said notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 24th July, 2014;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

- (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fourteenth Amendment) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 62, in sub-rule (1), in the proviso, in the Table, after the item 'Steering gear' and the entries relating thereto, following item and entries shall be inserted at the end, namely:-

"Rear Under run Protecting Device For N2, N3, T3 and T4	Yes	No	Yes	No	No	As per rule 124 (1A)
Lateral Side Protection Device For N2, N3, T3 and T4	Yes	No	Yes	No	No	As per rule 124 (1A).".

[No. RT-11028/07/2014-MVL]

NIRAJ VERMA, Jt. Secy.

**Note.**—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide notification number G.S.R. 590(E)*, dated the 2<sup>nd</sup> June, 1989 and last amended *vide notification number G.S.R. 643(E)* dated 19th August, 2015.

In the Central Motor Vehicle's Rules, 1959, in rule 22, in sub-rule (1), in the proviso, in the table after the word "therein" and the entries relating thereto following item and entries shall be inserted at the end namely:

Particulars	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Particulars as per rule 22 (1A)						
Particulars as per rule 22 (1A)						

The Central Motor Vehicle's Rules, 1959, in rule 22, in sub-rule (1), in the proviso, in the table after the word "therein" and the entries relating thereto following item and entries shall be inserted at the end namely: